**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।**

उपस्थितिः– अनिल कुमार खरवार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,

दंडवाद संख्या–989/ 2016 मु0अ0सं0–85/ 2015

राज्य बनाम फूल चन्द्र सिंह व अन्य

धारा– 406, 419, 420, 467, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र।

**–: आरोप :–**

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्तगण फूल चन्द्र सिंह तथा राजन उर्फ राधेश्याम सिंह को निम्न आरोप से आरोपित करता हूंः–

**प्रथमः**– यहकि दिनांक 03.06.2014 को वादीगण गौतम सिंह व अयोध्या सिंह ने अपना ट्रैक्टर मय कल्टीवेटर नम्बर–यू0पी064एन–3843 को आप फूलचन्द सिंह को रू0 15000/– प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर दिया। फूलचन्द ने उक्त ट्रैक्टर लेकर अपने लड़के राजन उर्फ राधेश्याम को दे दिया। एक माह बीतने पर वादीगण ने अपने पैसे की मांग की तो आप लोगों द्वारा टाल मटोल किया गया और पैसा वापस नहीं किया गया। इस प्रकार आप लोगों ने वादीगण का पैसा हड़प लिया। इस प्रकार आप लोगों ने आपराधिक न्यास भंग किया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–406 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीयः**– यहकि उक्त वादीगण के ट्रैक्टर नम्बर–यू0पी064एन–3843 को आप लोगों ने रू0 15000/– प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया और किराये का भुगतान वादीगण को नहीं किया गया। आप लोगों के द्वारा फर्जी कागजात तैयार करा कर उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम करवा लिया गया। जबकि वादीगण द्वारा अपना ट्रेक्टर नहीं बेचा गया था। इस प्रकार आप लोगों ने बेईमानी से वादीगण से छल कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया गया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–419 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः–** यहकि उक्त वादीगण के ट्रैक्टर नम्बर–यू0पी064एन–3843 को आप लोगों ने रू0 15000/– प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया और किराये का भुगतान वादीगण को नहीं किया गया। आप लोगों के द्वारा फर्जी कागजात तैयार करा कर उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम करवा लिया गया। जबकि वादीगण द्वारा अपना ट्रेक्टर नहीं बेचा गया था। इस प्रकार आप लोगों ने बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रच कर छल कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–420 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**चतुर्थः–** यहकि उक्त वादीगण के ट्रैक्टर नम्बर–यू0पी064एन–3843 को आप लोगों ने रू0 15000/– प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया और किराये का भुगतान वादीगण को नहीं किया गया। आप लोगों के द्वारा फर्जी कागजात तैयार करा कर उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम करवा लिया गया। जबकि वादीगण द्वारा अपना ट्रेक्टर नहीं बेचा गया था। इस प्रकार आप लोगों ने बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना की। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–467 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**पंचमः—** यहकि उक्त वादीगण के ट्रैक्टर नम्बर—यू0पी064एन—3843 को आप लोगों ने रू0 15000/— प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया और किराये का भुगतान वादीगण को नहीं किया गया। आप लोगों के द्वारा फर्जी कागजात तैयार करा कर उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम करवा लिया गया। जब वादीगण द्वारा उपरोक्त के संबंध में आप लोगों से पूंछा गया तो आप लोगों ने वादीगण को गालियां देकर अपमानित किये। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा—504 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**षष्टमः—** यहकि उक्त वादीगण के ट्रैक्टर नम्बर—यू0पी064एन—3843 को आप लोगों ने रू0 15000/— प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया और किराये का भुगतान वादीगण को नहीं किया गया। आप लोगों के द्वारा फर्जी कागजात तैयार करा कर उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम करवा लिया गया। जब वादीगण द्वारा उपरोक्त के संबंध में आप लोगों से पूंछा गया तो आप लोगों ने वादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा—506 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 05.08.2016

**(अनिल कुमार खरवार)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 05.08.2016

**(अनिल कुमार खरवार)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।